# २ – ३ जून
# शहीद दिवस
# शपथ दिवस

अनुसुईयाबाई
सुदामा (बालक)
जगदीश (युनियन उपाध्यक्ष)
टीभूराम
सोनउदास
रामदयाल
हेमनाथ
समारू
फुनउराम
डेहरलाल
जयलाल

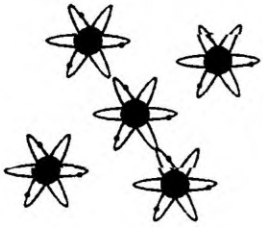

तुम्हे,
जिन कसाइयों ने कत्ल किया
आज की
अदालत उनकी ही है,
हम तुम्हारे
कत्ल का मुकदमा कातिलों के
हाथ में न देंगे
हम लड़ेगे, हम जूझेगे, हम जीतेगे
हमारी अदालत
कसाइयों को सजा देगी
सजा – ए – मौत।

# २ – ३ जून शहीद दिवस शपथ दिवस

## पट भूमि

एक इंसान के जीवन जैसे समाज का भी जन्म होता है समाज जवान होता है, वृद्ध होता है। एवं आखिरी पुराने समाज की मृत्यु के बाद नया समाज उसका स्थान लेता है। आज के भारत का आधा सामन्त वादी आधा उपनिवेशवादी समाज प्रौढ़त्व में गुजर रहा है। इस समाज का विकास वर्तमान ढांचा के अंतर्गत और संभव नही है।

यथास्थितिवादी इस समाज को किसी भी हालत में टिका कर रखना चाहता है। दलाल पूंजीपति, सामन्तवादी आदि लुटेरे वर्ग के लोग यथास्थितिवादी है।

क्रांतिकारी इस समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहता है जिस परिवर्तन से समाज में विकास का दरवाजा खुल जाता है। यह विकास उत्पादन के विकास के साथ – साथ जनजीवन में आर्थिक, सांस्कृतिक राजनीतिक विकास होता है।

भारत के वर्तमान आधा सामन्तवादी आधा उपनिवेशवादी समाज का खात्मा के युग में लुटेरा वर्ग क्रांतिकारी वर्ग को कुचलने के लिए जी – तोड़ कोशिश में जुटा हुआ है। इस कोशिश का एक था आपात् काल। इंदिरा के नेतृत्व में आपातकाल लागूकर मजदूरों के तमाम अधिकार छीन लिया गया। बोनस का हक छीन लिया गया। जोर जुल्म का राज कायम हुआ। दमन, अत्याचार नित्यदिन की कहानी बन गई। दल्लीराजहरा के खदान मजदूर आपात्काल के आखिरी चरण में अत्याचार के प्रतिरोध में सड़क में उतर आया।

बोनस की मांग को लेकर एक स्वत: स्फूर्त आन्दोलन की शुरूआत हुई। ३ मार्च का बोनस आन्दोलन खदान मजदूरों के दिल में बन्दोबस्त को तोड़कर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा का संचार किया। दलाल संशोधनवादी नेतृत्व को मजदूरों ने अस्वीकार किया, अफसरशाही की तानाशाही के खिलाफ मजदूरों ने युद्ध छेड़ दिया।

## जहां अत्याचार वहां प्रतिरोध

आर्थिक दृष्टि से जबकि बोनस आन्दोलन से मजदूरों ने कुछ भी प्राप्त नही कर पाया फिर भी खदान मजदूरों ने इज्जत की लड़ाई में विजय प्राप्त, उत्पादक शक्ति मजदूर वर्ग अनउत्पादक शक्तियों का मुकाबला किया। संघर्ष के बाद व्यापक एकता कायम हुआ। संशोधनवादी युनियन इन्टक, एटक में फंसे मजदूर दोनों युनियन तोड़ कर एक संगठन बनाकर महान एकता कायम किया।

सी.पी.आई. एवं कांग्रेसी युनियन अपना संगठन टूटते देखकर परेशान हुए दलाल युनियनों के चक्कर से मजदूरों को मुक्त होते देखकर मैनेजमेन्ट बौखला उठा एवं शैतानों की सांठ गांठ का एक मंच तैयार हुआ। एटक – इन्टक, मैनेजमेन्ट एवं आधा सामन्तवादी ठेकेदारों ने मिलकर '' सब ध्वंस करो '' सब खत्म करो, सब जला डालो''

की साम्राज्यवादी तौर तरीका का इस्तेमाल करना शुरू किया। हर तरीके से मजदूरों को दबाने का यह नीति शैतानों ने अपनाया।

मजदूर दबाव के सामने दबे नही, अत्याचार के सामने झुके नही एवं अपना अधिकार प्राप्ति के संघर्ष में डटकर भाग लिये।

निर्मम ठेकेदारी लुट खसोट का जमाना पहले से ही जारी था। मजदूर ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्स्थान पर हमला बोला। ठेकेदारी लूट खसोट के हर पहलू पर एक के बाद एक तीव्रतम संघर्ष चलता रहा। क्या हुआ ? बोनस की लड़ाई में आर्थिक विजय नही मिला तो , बाकी तमाम संघर्ष में एक के बाद एक विजय होते गया। हर विजय में खदान मजदूरों का हौसला बुलन्द होता गया। मजदूर तमाम कानूनी हक को पहचानते गए। फाल बैक वेज एवं आवास सुधार की मांग को लेकर फिर संघर्ष शुरू हुई। तमाम वार्ता विवाद खुराफातियों की हर साजिश को चकनाचूर करते हुए मजदूर आगे बढ़े एवं आखिर ३१ मई १९७७ के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद मजदूर की विजय हुई। दुश्मनों ने घुटने टेक दिये। मांग की सहायक श्रम आयुक्त के समझ लिखित रूप से स्वीकार कर लिया गया।

परन्तु बाघ कभी घास नही खाता है ! ठेकेदार दलाल, सी.पी.आई. एवं कांग्रेसी युनियनों के साथ मिलकर फिर खुरापाती करते रहे, लिखित रूप से मांग स्वीकार करने के बावजूद भी अमल में नही लाना चाहा। '' मांग पूरा नही करेंगे '' शासन को बताकर ठेकेदार नदारत हुए।

केन्द्र में जनता सरकार आपातकाल के बाद जनता को विभिन्न प्रकार के मुंह में पानी वाला आश्वासन देकर तैमूरलंग के सिंहासन में आसीन हुए थे। नयी जनता सरकार का वर्ग चरित्र कांग्रेसी सरकार के जैसे सामन्तवादी, दलाल नौकरशाही पूंजी का ही था। दमन अत्याचार में भी वह इंदिरा तानाशाही से कुछ कम नही थी, यह बात सिद्ध किया २ जून की काली रात एवं ३ जून की भरी दोपहरी में एक लिखित एग्रीमेंट को न मानकर ठेकेदार भाग खड़े हुए एवं शासन के निर्मम हथियार बन्दूक को आगे बढ़ा दिये। तत्कालीन कलेक्टर रमेश सक्सेना ने वर्दीधारी हथियारबन्द गुण्डो को नेतृत्व दिया। २ जून की रात के अंधेरे में मजदूर नेता को गिरफ्तार करने का बहाना बनाकर सात मजदूरों को धाराशायी किया, जिसमें महिला नेत्री अनुसुईया बाई एवं बालक सुदामा भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ का मैदान ऐतिहासिक संघर्ष एवं बलिदान के मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। १० – १२ हजार मजदूरों ने मजदूर नेता के मुक्ति की मांग लेकर हत्यारा पुलिस वाहिनी को घेर लिया एवं जहां शहीद मजदूरों की लाश इज्जत के साथ युनियन का झंडा देकर ओढ़ा दिया गया यहां कसाईयों को नंगा कर गरम मुरम के उपर सुला दिया। निष्ठुर शासन यंत्र के खिलाफ असीमित घृणा आंसू में रूपान्तरित हुई। और आंसू खूखांर गुस्से में बदल गया।

३ जून १२ बजे दोपहर को फिर कई बार गोली चली, ४ मजदूर साथियों ने शहीद का दर्जा प्राप्त किया। जनता सरकार की वर्ग चरित्र पहली बार भारत की जनता

के सामने बेनकाब हुआ। कुल ११ साथी शहीद हुए, अनेक लोग घायल हुए।

ठेकेदार बी.एस.पी. मैनेजमेन्ट एवं शासन ने सोचा था, कि गोली चलाकर मजदूरों की एकता जोड़ देगा। परन्तु लेटेरों का सपना सफल नही हुआ। मजदूर कफ्यू १४४ धारा झेलते हुए १८ दिल हड़ताल में बिता दिये। मजदूरों के जीवन पण संघर्ष, दृढ़ प्रतिज्ञ भावना एवं महान संघर्षशील एकता के सामने, प्रतिक्रियावादियों ने घुटने टेक दिए। हक प्राप्ति का संघर्ष पूण विजय प्राप्त किया।

छत्तीसगढ़ की जमीन में शहीदों के खून से क्रांति का बीज बोया गया। अब छत्तीसगढ़ सोना जैसे धान पैदा करती है, धरती के नीचे लोहा पत्थर, चुना पत्थर, टिन, कोयला, युनेनियम, डोलोमाईट, सौप स्टोन, कोयार्जाईट आदि कीमती खनिज भरा हुआ है, जंगल मे सरई सागोन, शीशम, बांस आदि सम्पदा भरी हुई है, फिर भी इस धरती का बेटा भूखा क्यों रहेगा ? सेठ, बनिया, मालगुजार ठेकादार एवं अफसर का चक को वह बहुत दिनों तक बरदास्त किया, जब और नहीं। २ जून १९७७ को जन युद्ध का बिगुल बज गया है। मुक्ति चाहिए, शोषण से मुक्ति, दमन से मुक्ति, अत्याचार से मुक्ति!

खदान मजदूर शहीदों की छाती से चुहता हुआ लहू से टीका लिया है, खदान मजदूर की आंखों से स्वपना, मुक्त छत्तीसगढ़ का, नया छत्तीसगढ़ का, जनवादी लोकतांत्रिक छत्तीसगढ़ का एवं समाजवादी भारत के निर्माण का। खदान मजदूर आज शपथ लेता है, किसानों को मित्र बनाने का, व्यापक किसान समुदाय को नेतृत्व देने का।

नया छत्तीसगढ़ अब दूर नही!

## कब तक किसान मजदूरों की छाती से लहू टपकता रहेगा ?

भारत के इतिहास में मजदूरों के उपर गोली चालन की यह पहली घटना नही है। इससे पहले भी इस देश की धरती पर अनेकों बार मजदूरों किसानों का लहू टपकता रहा है। अंग्रेज साम्राज्यवादियों के जमाने में क्रांतिकारियों पर बार – बार गोली बरसाई गई थी। कांग्रेसी राज में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तेलंगाना के किसानों पर गोली चली। काकद्वीप की गर्भवती नारी अहिल्या को गोलियों से भून दिया गया। राजनांदगांव के कपड़ा मिल के दो मदजूद नेताओं की हत्या भी बन्दूक से नेहरू के जमाने में कर दी गई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में हजारों क्रांतिकारीयों को नक्सलपंथी बताकर गोली से उड़ा दिया गया। तुर्कमान गेट, तेलंगाना, भोजपुर आदि में कई बार इंदिरा सरकार ने गोली चलवाई थी।

जनता पार्टी जेल में बनी थी। आम जमता की आशा थी कि यह सरकार बात – बात पर बन्दूक नहीं चलवायेगी, परन्तु अभी ३ महीने भी नही बीत पाये थे कि दल्लीराजहरा में गोली कांड की घटना अखबारों में छपने लगी। फिर एक के बाद एक गोली

की घटना अखबारों में छपने लगी। शासन ने बोकारो में H.S.C.L. के मजदूरों पर कानपुर के स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों पर, बैलाडीला में खदान मजदूरों पर, भोजपुर में क्रांतिकारियों पर, बहरागुड़ा, छोटा नागपुर, संथाल परगना व अन्य जगह के आदिवासियों पर और जमशेदपुर में अल्पसंख्यकों पर गोली चलाकर अपने हाथ खून से रंग लिये। पश्चिम बंगाल में सी.पी.एम. की सरकार ने भी गोली चलाकर यह बता दिया है कि वह भी मजदूरों, किसानों की हत्या के मामले में किसी से पीछे नही हैं। आज नागालैड में बागी नागाओं से निपटने के नाम पर, जनता सरकार ने पहाड़ी जातियों पर हत्या, बलात्कार आदि जुल्म का रिकार्ड कायम किया है। जिसके बारे में सुनकर ही सभ्य इंसानों का हृदय कांप उठता है।

इसिलये आज प्रश्न उठता है कि कब तक कानून और व्यवस्था के नाम पर हत्या, बलात्कार आदि अत्याचार बेरोकटोक चलते रहेंगे ? क्या इस अत्याचार, शोषण, निपीड़न और जोर जुल्म का अन्त कभी नही होगा ?

इन बातों को समझने के पहले राजसत्ता के बारे में सटीक धारण बनाना होगा। राजसत्ता वह मशीनरी है। आज जेल, पुलिस फौज वह संगठन बन गया है जो कानून की आड़ लेकर अपने अत्याचारों की सहायता से आतंक कायम रखता है और वही आतंक लुटेरों को लूट खसोट का राज चलाने में सहायक बनता है। जनता को आतंकित करने की प्रक्रिया में १४४ धारा जारी करना, कर्फ्यू लागू करना, अश्रु गैस छोड़ना, लाठी चार्ज करना और गोलीचालन तथा आगजनी आदि होते है। इस आतंक को '' श्वेत आतंक'' कहा जाता है। अगर यह आतंक कायम नही होते, अपने देश में सामन्त वादी दलाल पूंजीपति वर्ग ने जो लूट खसोट का धूम मचा रखा है वह सब नही चल पायेगा। पूंजीपति की लूट खसोट सिर्फ '' श्वेत आतंक '' के भरोसे ही चल सकता है।

पूंजीपति '' श्वेत आतंक '' का प्रयोग क्यों करता है ? वह इसलिए कि पूंजीपति सामन्तवादी लुटेरों की संख्या, बाहुबल एवं उत्पादन में उनकी उपयोगिता इतनी कम है कि वे हमेशा अस्त्र बल से ही अपना बचाव एवं आक्रमण जारी रख सकते है। उदाहरण के तौर पर कोई गुण्डा बगैर किसी हथियार के कहीं गुण्डागर्दी करे तो सिर्फ ५ आदमी भी उसकी अच्छी मरम्मत कर सकते है परन्तु वही एक गुण्डा कोई घातक हथियार रखे तो उस हथियार के आतंक से ५०० आम आदमी डर जाते हैं और उसकी गुण्डागर्दी चलती रहती है। मजदूर किसान वर्ग पुलिस आदि नहीं रहने पर उनका चुन – चुनकर सफाया कर सकता है। उनका सफाया न हो एवं उनकी लूट खरोट जारी रहे इसलिये ही पूंजीपतियों ने पुलिस फौज आदि का बन्दोबस्त कर रखा है। नही तो करोड़ो जनता का थोड़ा गुस्सा ही उन्हे भस्त कर सकता है।

अगर यह बात सच है कि पूंजीपति एवं सामन्तवादियों के राज में आतंक एवं लूट खसोट बराबर चलता रहेगा, तो मजदूर किसान बुद्धिजीवी एवं अन्य शोषित वर्ग के

साथियों को इस बात पर काफी ध्यान देना चाहिए कि हम आतंक और शोषण का मुकाबला कैसे करें ! बंदूक का मुकाबला कैसे करें ! क्या इसी तरह बार – बार हजारों निहत्थों मजदूरों को बंदूक के सामने झोंका जायेगा ? क्या हर एक गोली कांड के बाद शासक वर्ग को कोसकर, शहीदों की लिस्ट बनाकर पूजा करने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है ? नही ! बिलकुल नहीं !

आज परिवर्तन का युग है। किसान मजदूर, बुद्धिजीवी एवं अन्य शोषित वर्ग के लोग एक गुणात्मक परिवर्तन की प्रसव वेदना एवं आवश्यकता अनुभव कर रहे है हमारे देश में इस गुणात्मक परिवर्तन का दूसरा नाम है '' हमारे देश की क्रांति '' । आज तमाम क्रांतिकारी वर्ग को क्रांति के काम तेज करने की प्रक्रिया में जुटाना पड़ेगा तभी देश की मुक्ति होगी। तभी मजदूर किसानों की छाती से लहू नही टपकेगा। एक नई राजसत्ता का निर्माण होगा , असीम सुख शांति एवं खुशहाल समाज व्यवस्था की स्थापना होगी।

परन्तु यदि क्रांति करना है तो एक सशक्त क्रांतिकारी पार्टी होना अनवार्य है। एक सही मार्क्सवादी – लेलिनवादी वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर सही पार्टी ही क्रांति को नेतृत्व दे सकती है। और एक सफल क्रांति के बाद ही मजदूर किसानों की छाती से कभी लहू नहीं टपकेगा।

## छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी मजदूरों की जिम्मेदारी

एक असहनीय गरीबी से छत्तीसगढ़ की जनता का जीवन त्रस्त होता जा रहा है। और वह दिन ब दिन हताश होती जा रही है। हर साल छत्तीसगढ़ के किसानों को विभिन्न प्रकार के आभावों का सामना करना पड़ता है। रोजी की तालाश मे गांवों से पलायन रोजमर्रा की घटना हो चुकी है। इस प्रतिकूल परिस्थिति में किसानों को कौन मुक्ति का रास्ता दिखायेगा ? उन्हे कौन नेतृत्व देगा ? किसके पास हिम्मत है ? नेतृत्व देने का सामर्थ्य है छत्तीसगढ़ के मजदूरों के पास उत्पादक मजदूर क्रांतिकारी विचार एवं भावना से ओत प्रोत रहा है। इसिलिये व्यापक किसान समुदाय को सही नेतृत्व देने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ मजदूर को लेनी होगी।

छत्तीसगढ़ हम उन्हे कहेंगे जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत इमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाते हो , जो छत्तीसगढ़ की जनता की मुक्ति के लिये जीवन अर्पण करने को तैयार हो, जो आर्थिक एवं वैचारिक रूप से सामन्तवादी न हो, जो पंजीवाद का खात्मा चाहते हो, जो जनवादी एवं लोकतांत्रिक छत्तीसगढ़ बनाने में बाधक न हो एवं दुनिया के मेहनतकशों के प्रति भाई चारा की भावना रखते हो।

छत्तीसगढ़ के दुश्मन वे कलहायेगे जो छत्तीसगढ़ की जनता को आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से शोषण करते है भले ही उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ हो।

छत्तीसगढ़ से लुटेरा वर्ग का सफाया, उत्पादन में विकास एवं दयनीय आर्थिक स्थिति से मुक्ति तभी सम्भव है जब यहां के मजदूर व्यापक किसान समुदाय को गोलबंद करेंगे, दूसरे क्रांतिकारी वर्ग के साथ मार्चा बनायेंगे एवं शहीदों के खून से सींचे कुर्बानी की राह पर हर कठिनाईयों का सामना करते हुए विजय की ओर बढ़ेंगे। इन कार्यो को पूरा करने के लिये एक सशक्त मोर्चा की आवश्यकता है। और इस मार्चा को बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मजदूरों एवं क्रांतिकारियों पर है। इस एतिहासिक जिम्मेदारी को उन्हे पूरा करना ही होगा।

शंकर गुहा नियोगी

(७)

# अमर शहीद अनुसूइया बाई

अनुसूइया बाई का जन्म देवरी (जिला राजनांदगांव) में एक खेतिहर मजदूर परिवार में हुआ था। गरीबी की परिस्थिति के कारण अनुसूइया को बचपन में पढ़ने का मौका नही मिला और वह छोटे उम्र में ही गांव में बनिहारी मजदूरी करने लगी। अनुसूइया के पिता बहुत अच्छा गाते थे और गीत गाने की प्रेरणा अनुसूइया को उन्ही से मिली।

अनुसूइया की पहली शादी ग्राम अलीखूंटा में हुई थी पर बाद में कल्याण नामक युवक से शादी करके दोनों कमाने खाने दल्ली राजहरा चले आये। दल्ली में उन दिनों खदान खुलने के कारण कई प्रकार के काम थे। पुराना बाजार में झोपड़ी बनाकर अनुसूइया और कल्याण भी कई औरों की तरह यहां बस गये और कई साल तक अमानी ट्रक लोडिंग आदि हर प्रकार के काम करते रहे। आज जो रास्ता पुराना बाजार से अपने युनियन ऑफिस होते हुए कोन्डे जाती है। उसे बनाने में भी अनुसूइया और कल्याण मेहनत किये है।

सन् १९५९ में अनुसूइया और कल्याण बड़े खदान K.K.M.C. में भर्ती हुये। बाद में लोहा खदान में भर्ती हुये। अनुसूइया में लोगो को इकट्ठा करने और उनका नेतृत्व करने की शक्ति थी। इसी कारण वह अपने खदान में मुखिया चुनी गई। उसके गाने के कारण भी लोग उसे बहुत चाहते थे।

फिर आया १९७७ का उभार, लाल मैदान में ऐतिहासिक मीटिंग और लाल हरा झंडे का जन्म! अन्य मजदूरों के साथ अनुसूइया ने भी लाल हरे झंडे को अपनाया और जोश के साथ युनियन का काम करने लगी। २ जून की भयंकर रात को अनुसूइया सभी मजदूरों के साथ मैदान में डटी रही और सबका जोश बढ़ाती रही। पुलिस गोली चालन के समय वह मोर्चे के आगे थी छाती में कातिल की गोली लगी और अपने प्यारे संगठन, प्यारे मजदूर भाई बहनों को छोड़कर अनुसूइया ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी।

----o----

# मैं हूं अनुसूइया, धरती हिलानेवाली
# सावधान !

मै औरत हूं,
मै कोई
कमजोर, बेसहारा नही
न ही चुल्हे के पास बैठी
काई भीगी बिल्ली
न कोई गहनों से झुकी
नाजुक टहनी
न ही खदान, कारखाने में
झुलसी फूल की पंखड़ी
मै अब नही हूं
एक बेजान चीज
मर्दो द्वारा दवाई हुई
सीखियों – सलाखों में दबी
संस्कृति की आड़ में
खरीदारी का बाजारू माल
नही, अब मै चौके, चकले,
खाट, सड़क की जिन्दा लाश।
मै हूं अनुसूइया,
धरती हिलाने वाली,
सावधान !
मै हूं
निर्मला, स्नेहलता, नागलक्ष्मी
अहल्या
दुश्मनों, शोषकों का
कलेजा चीरने वाली नंगी कटार
संघर्ष करने वाली
आधी जनता हूं मै
सर उठाये,

सदियों की चुप्पी तोड़
किसी वीर की मां
या पत्नी भर नही
मै हूं लड़ाई में एक सिपाही
मै हूं जंगली जानवरों को
चीर फाड़ने वाली
रणचण्डी
आदिमानवी....

– रत्न माला की कविता

----o----

# शहीदों की याद में...

फागूराम यादव के गीत

## १

जगदीश भाई लाल सलाम,
अनुसूइया बाई लाल सलाम,
टोभूराम, शोनुदास, समारू, लाल सलाम
डेहरलाल, सुदामा, रामदयाल, लाल सलाम
हेमनाथ, पुनऊराम, जयलाल, लाल सलाम।

दल्लीराजहरा के अमर शहीदों, तुमने हमें कुर्बानी सिखाया,
हर शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, संघर्ष में रास्ता दिखाया।
जगदीश भाई ...।

तुम्हारी याद हमेशा हमें दृढ़ प्रतिज्ञ बनाती है,
तुम्हारा, बलिदान, संघर्ष यहां आज भी जारी है।
जगदीश भाई... ।
जिन कसाइयों ने किया है कत्ल तुम्हे,
आज की अदालत है उनकी,
हमारी अदालत एक दिन,
उन कसाईयों को सजा देगी।
जगदीश भाई ...।

## २

अमर होगे गा शहीद मन, अमर होगे गा, शहीद मन अमर होगे गा,
ये दल्ली के मजदूर शहीद मन अमर होगे गा।
गाड़ी के कम्मइया मुखिया नाम जेकर जगदीश गा,
ये मजदूर ला रस्ता बताइस सुन्दर बोली ला दीस गा,
अपन हर गोली ला खाके जीवन खोगे गा।
अमर होगे ...।

बारा बरस के बालक सुदामा कृष्ण के संगवारी,
मासूम लइका ला गोली मा मारीन नोहे गा ये लबारी
ये धरती माता के गोदी मा लइका हा सोगे गा।
अमर होगे ...।

दु:ख लागथे मोला समारू सुसायटी के खदनहा,
तेकर घर मा एको एकड़ लइहे संगी धनहा,
अपन गा निबुद्धि लइका ला छोड़ के चलगे गा।
अमर होगे ...।

तोर चरण बन्दों दाई ये अनुसूईया माता,
ये दुनिया मा फिर से तोला जन्म देवे विधाता,
मजदूर ला तेहा रस्ता देखादे धरती मा सोगे गा।
अमर होगे ...।

तोर चरण बन्दो दाई ये अनुसूईया माता,
ये दुनियां मा फिर से तोला जन्म देवे विधाता।
मजदूर ला तेहा रस्ता देखादे धरती मा सोगे गा।
अमर होगे ...।

ये मजदूर के हित बर संगी जतेक दे दीन जान गा,
उकर मनके आत्मा ला शांति देवे भगवान हा,
ये दुनिया मा अमर रही देवता होगे गा।
अमर होगे ...।

## ३

ये शहीद तोर सुरता मा मजदूर के दिल धड़कन हे गा,
आगी के शोला हा सबके आंखी में भड़कत हे गा।
इंकलाब जिन्दाबाद, इंकलाब जिन्दाबाद

दू जून के सूरता हा आथे अंधियार करिया रात के,
गरजे बन्दूक संगी रे, गोली के गा बरसात के,

खाकी वर्दीधारी के शोषण अऊ अत्याचारी के,
ओ दिन के चितकार, हाहाकार कान मा भरगे गा,
आगी के शोला ... ।

शहीद मन के छाती मा बन्दूक के गोली धंसगे गा,
गिरे शरीर ये धरती मा लहू मा रंगे लतपत ले गा,
लाल लाल रंग मा संगी ये भुइया हा रगंगे गा,
शहीद मन के आह सबके अंग मा धधकत हे गा,
आगी के शोला ... ।

कब तक ये धरती मा अइसने खून हा चुहत रही ?
बघवा बनके जनता के गा लहू ला पियत रही ?
लाल हरा झंडा उठाले अब तूंहर गा हाथ मा,
एकता ला मजबूत बना के रेंगो एके साथ मां,
लाल खून के रंग हा आंखी मा दर्शत हे गा,
आगी के शोला ... ।

४

शहीद भगतसिंह, वीरनारायण सिंह,
अनुसूइया बाई, जगदीश भाई,
ये सब एक है, एक है।

इनके संघर्ष आज भी जारी है।
आज का संघर्ष हमारी बारी है,
मरना है तो मरेंगे फिर भी बढ़ते जायेंगे।
तुम्हारे अरमान पुरे करते जायेंगे।
शहीद भगतसिंह ... ।
हर जुल्म, हर अत्याचार
जूझेंगे हम बार – बार,
मजदूर किसान मिलके आज उठाये है हथियार,
शहीदों के खून से हम सब है तैयार
शहीद भगतसिंह ... ।

आगे बढ़ते जायेंगे सर न हम झुकायेंगे ,
आ जाये तूफान तो उससे भी टकरायेंगे ,
चल मजदूर, चल किसान,
हाथ में उठा मशाल,
शहीदों के नाम के जोत हम जलायेंगे।
शहीद भगतसिंह ...।

दुनिया के शहीदों खून व्यर्थ नही तुम्हारा,
समुन्दर किनारे नाम, अमर है तुम्हारा ,
नाम तुम्हारा लहर बन के, दिल में हमारे आया है ,
मजदूरों किसानों को तुम्ही ने जगाया है।
शहीद भगतसिंह ...।

५

ये शहीदों लाल सलाम, लाल सलाम
मा अनुसूइया, जगदीश भइया, बालक सुदामा लाल सलाम
ये शहीदो ...।

ये जनता के खातिर तुमने तो कुरबान हुआ,
खून अपना बहाया तुमने, नाम तुम्हारा महान हुआ,
वीरता दिखाया तुमने, है निराला तेरा शान,
ये शहीदों ...।

अधिकार मजदूरों के खातिर किया लड़ाई तुमने है,
मेहनत कशों के लिये किया भलाई तुमने है ,
बांधा था सर पे कफन, दिया तुमने अपना बलिदान,
ये शहीदों ...।

पाते है किस्मत वाले ऐसा जगह, तू पाया है,
नाम का तेरा पताका लाल हरा लहराया है,
ऊंचा है ये झंडा सबसे मजदूरों का है निशान,
ये शहीदों ...।

दिया है कुरबानी तुमने नाम तेरा है अमर,
भूलेंगे ना हम कभी अहसान तेरा जीवन भर
तुमने जो दिखाया है, दिखाया था शेखर आजाद
ये शहीदों ...।

आज हम सब मिलके तुमकों, फूल चढ़ाने आये है
जो दिलाया तुमने सबको ओ सभी ने पाये है
तुमने सिखाया है सभी को बोलने को इन्कलाब
ये शहीदों ...।

६

देवी अनुसूइया मइया, मोर जगदीश भइया
तुंहर चरणों का शीश नवाबो,
तुंहर नाम के दिया ल जलाबो। – २
तुंहला पुकारे छत्तीसगढ़ के पुजारी रू
बनके बहादुर हिम्मत राखेव भारी,
छत्तीसगढ़ के मजदूर ला जगायेव,

दुश्मन के आघू पीठ नई देखायेव।
खाके बंदूक के मार – बनगेव गोली के शिकार
तुंहर सुरता ला कभी लई भुलाबो।
तुंहर नाम के दिया ...।

लइका सुदामा छत्तीसगढ़ के खेलइया,
लागस जैसे मोला कुंवर कन्हैया,
नानचुक उमर मा कुछ करके देखादे,
छत्तीसगढ़ दाई के गोदी मा समागे,
तोला करथे पुकार, दाई ददा के दुलार,
तोर सुरता मा आंसु बोहाबो। तुंहर नाम के दिया...।

पानी के बरसा अस गोली हा बरसगे,
गरजत गोली तुंहर छाती ले निकलगे,

छत्तीसगढ़ भुंइया लाल लाल रंगगे।
आंखी मा आ जाथे पानी तुंहर सुन के कहानी
तुंहर गुन ला गा सदा हम गाबो।
तुंहर नाम के दिया ...।

तुंहर खून के छिटका हा सबो उपर लागे हे,
तुंहरे पाछू मा ये छत्तीसगढ़ हा जागे हे,
आज तुंहला गा हम देवता मनाबो,
पांव मा तुंहर हम गा फूल ला चढ़ाबो,
आ जाहू देवता, आज हमर नेवता
तुंहला सुमर सुमर मनाबो।
तुंहर नाम के ...।

---- o ----

# राजहरा गोलीकांड के पीछे अफसरों का निकम्मापन ...

**ठेकेदारी लानत**

दल्लीराजहरा (छ.ग.) यह एक दर्दनाक दस्तान है कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अफसरों के निकम्मेपन की भिलाई इस्पात कारखाना के हुक्मरानों के भ्रष्ट और गैर जिम्मेदाराना सलूक की और ठेकेदारों के हाथों भूखे नंगे आदिवासी मजदूरों के भंयकर शोषण की ... जिसमें एक औरत , एक लड़े सहित ग्यारह लोगों को ३ जून को गोलियों से भून डाला गया।

कबे लोहे पर खड़ी इस आधुनिक बस्ती में घुसने घंटे भर के भीतर किसी भी व्यक्ति को इस बात का यकीन हो गया कि अगर अधिकारी थोड़ी सूझ – बूझ का सहारा लेते तो मजदूर नेता शंकरगुहा नियोगी को बगैर गोली बारी किये और खून बहाये गिरफ्तार किया जा सकता था।

भिलाई कारखाने की स्थापना के पूर्व दल्ली राजहरा इने – गिने झोपड़ियों का एक छोटा सा गांव था। अब यहां से भिलाई कारखाने की जरूरत का ७५ प्रतिशत खनिज लोहा सप्लाई किया जाता है।

**ठेकेदारों की मनमानी**

प्रतिदिन ५ लम्बी मालगाड़ियां विशेष रूप से तैयार किये गये दल्ली राजहरा भिलाई रेल मार्ग पर दौड़ती है। यहां पर भिलाई कारखाने की राजहरा भिलाई रेल मार्ग पर दौड़ती है। यहां पर भिलाई कारखाने की राजहरा यत्रीकृत खदाने है। यहां पर दल्ली, झरनदल्ली लौह खदानें है, यहां लोहा निकालने का काम मजदूर करते है इन खदानों का काम ठेकेदारों और मजदूरों की सहकारी संस्थाओं के पास है। भिलाई कारखाने की खानों में ३३७२ और ठेकेदार की खानों में ८०२९ मजदूर काम करते है।

मजदूरों की मजदूरी और काम की दूसरी शर्त खनिज लौह वेतन मंडल की सिफारिशों से संचालित होती है। नियमानुसार भिलाई कारखाने को और ठेकेदारों को इन सिफारिशों का पालन करना चाहिए भिलाई कारखाना तो ऐसा करता है, लेकिन ठेकेदार नही करते।

नियमानुसार ठेकेदारों को मजदूरों के लिए रिहाइश और उनकी मरम्मत का इन्तजाम करना चाहिए। मजदूर झोपड़ियों में रहते है, जिन्हे प्रतिवर्ष बारिश के पूर्व सुधारना चाहिए।

मरम्मत के नाम पर ठेकेदार प्रतिवर्ष २१ रूपया प्रति मजदूर देते है, जिससे कितनी मरम्मत हो सकती है इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है । उनकी मांग

कम से कम १०० प्रतिवर्ष है।

भिलाई कारखाने के मजदूरो की तरह ठेकेदारो के मजदूरों को भी फालवैक वेजेस मिलनी चाहिए। फालवैक मजदूरी का अर्थ होता है, मजदूरों के कार्य स्थल में आने के बाद किसी परिस्थिति के कारण रोजगार न मिलने के पर एक निश्चित मात्रा पर भुगतान किया जाना।

इस संबंध खनिज लौह वेतन मंडल निम्न सिफारिशों की थी

(क) अगर किसी भी कारणवश पीस रेडेड मजदूरों को उनकी क्षमता भर काम नही दिया जा सके और एंसी परिस्थिति में निर्मित होने के लिए मजदूर जिम्मेदार न हो तो उसे फालवैक मजदूरी दी जानी चाहिए।

**समझौता**

(ख) ऐसी मजदूरी की परम्परा हासिल करने के लिए मजदूर कोव्यवस्थापकों की पूर्व अनुमति कि बिना शिफ्ट समाप्त होने के पहले काम की जगह छोड़कर नही जाना चाहिए यह फालवैक मजदूरी समकक्ष श्रेणी के टाईम रेटेड मजदूरों की दैनिक मजदूरी का ८० प्रतिशत होगी।

इस वर्ष के शुरू में भिलाई कारखाने और मान्यता प्राप्त एटक युनियन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार कारखाने की खानों में काम करने वालों मजदूरों को बोनस के स्थान पर ३०८/– रूपये देने की व्यवस्था थी। ठेकेदारों के मजदूरों ने विभागीय मजदूरों के समकक्ष मजदूरी आदि की मांग रखी।

आपातकाल में तो इन गरीबों को क्या दिया गया, और ठेकेदार उनके हक को मारकर भारी मुनाफा कमाते रहे। बहरहाल लगातार मांग के बाद मान्यता प्राप्त युनियन के साथ यह समझौता हुआ कि ठेकेदारी मजदूरों को अभी ७० रूपये दिये जायेगें, बाद में बोनस में उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन ठेकेदारों ने किसी भी समझौते और वेतन मंडल की सिफारिशों का पालन नही किया, जिससे असंतोष बढ़ता गया।

**काम बन्द**

आपातकाल की समाप्ति के बाद जब शंकरगुहा नियोगी जेल से छुटे तो छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बंशीलाल और संगठन मंत्री शंकरगुहा नियोगी बने। आश्चर्य की बात है कि रातों रात दूसरी युनियनों के अधिकांश मजदूर इस युनियन में शामिल हो गये। इस युनियन ने संघर्ष तेज कर दिया। हड़तालों और घेराव का दौर शुरू हो गया।

भिलाई की दल्लीखानों के अधीक्षक ब्रम्हा ने मुझे बताया कि पिछले महीनों में अनेक हड़तालों के अलावा ६० घेराव हुए। ११ मई को तो सभी कर्मचारीयों का, जिनमें महिलायें भी थी, घेराव किया गया।

**मजदूरों की दुर्दशा**

ब्रम्हा ने कहा कि पिछले माह १९ दिन काम बन्द रहा। प्रतिदिन १३००० टन खनिज लोहा निकाला जाता है और प्रतिटन की कीमत होती है ३०/– रूपये १२ जून को जब मै वहां गया तो हड़ताल चालू थी। लेकिन हड़ताल का प्रभाव भिलाई के इस्पात उत्पादन पर नही पड़ेगा , क्योकि उसके पास काफी भंडार है।

गोलीकांड की घटना का संबंध ३१ मई १९७७ को हुए एक समझौता से जोड़ा जाता है। यह समझौता छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ, सहायक श्रमायुक्त और ठेकेदारों के बीच हुआ था। समझौते में लिखा गया है कि श्रमायुक्त की उपस्थिति में उद्योग विवाद विधान की धारा ९२ (३) के तहत समझौता हुआ, जिसके अनुसार ठेकेदारों के ट्रान्सपोर्ट मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार नही दे पाने पर फालवैज वेजेस दिये जायेंगे , ड्रिलर्स की मजदूरी में 2 पैसे की वृद्धि की जायेगी और वैकल्पिक काम न देने पर रेजिंग मजदूरों को ४ रू. प्रतिदिन दिये जायेंगे।

यह भुगतान ४ जून १९७७ तक हो जायेगा। समझौते में यह भी लिखा गया कि प्रति मजदूरों को १०० रूपये झोपड़ी की मरम्मत के लिये दिये जायेंगे। यह रकम १ जून को दी जायेगी।

वास्तव में यह समझौता मजदूरों को कोई नई चीज नही दिलाता था। वेतन मंडल की सिफारिशों में जो व्यवस्था थी, उसमे उसी का उल्लख था। लेकिन यहां मजदूरों को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि दोनों वक्त खाना भी नसीब नही हो पाता। इसके उपर काम नही होने की बात कहकर उन्हे अक्सर वापस कर दिया जाता था। इस कस्बे में कोई दूसरी मजदूरी तो मिल नही सकती।

**मिली भगत**

यहां के ठेकेदार निकटवर्ती शहर राजनांदगांव के निवासी है भिलाई इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर भी यहां के पुस्तैनी रहने वाले है। इसलिये अगर ठेकेदारों को मजदूरों के हितों के उपर तरजीह मिलती रही तो उसमें ताज्जुब की कोई बात नही है। अन्दाजा है कि भिलाई कारखाना ठेकेदारों को साल भर में लगभग ५ करोड़ रूपये का भुगतान करता है।

उपरोक्त समझौते के बाद ठेकेदारों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि मजदूरों ने भिलाई रेस्ट हाऊस में उनका घेराव करके जबरदस्ती समझौते पर दस्तखत कराये थे।

उधर मजदूरों का कहना है कि ठेकेदारों ने समझौते का पालन नही किया और शुद्ध औद्योगिक विवाद के मामले में पुलिस का संरक्षण प्राप्त किया।

**गोली कांड**

३ जून की रात को पुलिस शंकरगुहा नियोगी को श्रमिक संघ के दफ्तर से गिरफ्तार करने गई जो एक झोपड़ी में है और जिसके पास मजदूरों की घनी बस्ती है।

वहां भारी संख्या में मजदूर इकट्ठे हो गये। पुलिस को चतुराई से काम

लेकर वापस जाना चाहिए था। नियोगी के पीछे खुफिया लगाकर बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और मजदूरों ने भी विरोध किया। संघर्ष में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें ४–५ व्यक्ति मारे गये।

पुलिस नियोगी को गिरफ्तार कर ले गयी। लेकिन उसके तीन लोगों को मजदूरों ने पकड़ लिया। वे घायल बताये जाते थे। दूसरे दिन पुलिस उन्हे छुड़ाने गयी मजदूरों ने पुन: विरोध किया तो पुन: गोली चली। कुल मृतकों की संख्या १० पर पहुच गई। मृतकों के नाम है – टीभूराम, रामदयाल, सोनऊ, सुदामालाल (१४ वर्षीय लड़का) जगदीश, हेमनाथ, रामदयाल , पुनुराम और अनुसुइया बाई। दसवें मृतक की शिनाख्त नही हो पायी है।

स्थिति अभी भी तनाव पूर्ण है। इसका हल केवल ठेकेदारी खत्म करके तमाम मजदूरों को एक समान सुविधायें देने से ही निकल सकता है। वर्ना संकट बना रहेगा।

दिनेश अवस्थी

बिल्टज, २५ जून १९७७

----o----

# १५ हजार मजदूरों के नेता शंकरगुहा नियोगी का कथन –

**दल्लीराजहरा गोलीकांड : षडयंत्र का परिणाम**

दल्ली राजहरा मे [illegible] गोली चालन की दर्दनाक वारदात के बाद प्रशासन, भिलाई इस्पात प्रबन्ध, ठेकेदार और श्रमिक युनियन के नेता सभी एक के बाद अपना मत प्रकट कर चुके है, किन्तु सम्पूर्ण घटना के प्रमुख पात्र शंकरगुहा नियोगी की आवाज अभी भी रायपुर केन्द्रीय कारागार की काल कोठरियों में बन्द है। यह आवाज तब तक दबी रहेगी जब तक की शंकरगुहा नियोगी की जमानत पर रिहाई नही हो जाती। नियोगी का आरोप है क उसकी जमानत न होने देने के पीछे पुलिस और ठेकेदार का दबाव सक्रिय है।

१५ हजार मजदूरों के संगठन छत्तीसगढ़ खदान श्रमिक युनियन के सचिव शंकरगुहा नियोगी ने '' नवभारत'' को गत दिनों एक भेंट में दल्लीराजहरा के घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुये बताया कि आपातकाल की समाप्ति पर मीसा से मुक्त हो, मैने युनियन को नये सिरे से संगठित करना शुरू किया। संगठन के साथ – साथ ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के साथ किये जा रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी कानून के नियमों को खुले आम अवहेलना कर मजदूरों को अपनी मर्जी से मजदूरी देते है। काम का भी कोई ठिकाना नही रहता। कभी ट्रक खराब होने से तो कभी विस्फोटक न होने के नाम पर मजदूरों को दिन भर बिठाने के पश्चात वापस कर दिया जाता है। सुविधाओं को दिन भर बिठाने के पश्चात वापस कर दिया जाता है। सुविधाओं के नाम पर मजदूरों को असुविधाओं में जीने के लिये विवश किया जाता है। श्री नियोगी ने बताया कि शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलन्द करने पर ठेकेदारों से दो बार युनियन का समझौता हुआ किन्तु हर बार ठेकेदारों ने वादा खिलाफि की। युनियन की बढ़ती हुई ताकत से ठेकेदारों के साथ भिलाई इस्पात प्रबंध, प्रशासन और विरोधी श्रमिक संगठन चौकन्न हो गये। सबने मिलकर आतंक के बलबूते पर आन्दोलन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा।

उन्हेने बताया कि घटना दिवस २ व ३ जून को रात्रि में विश्राम गृह में अधिकारीयों व ठेकेदारों के बातचीत के लिये दो बार गया किन्तु मुझे गिरफ्तार नही किया गया, किन्तु उसी रात १.३० बजे मजदूरों के बीच पुलिस बल के भरोसे मुझे गिरफ्तार बर लिया गया। गिरफ्तारी उसी षडयंत्र का हिस्सा था जिसके तहत वे मजदूरों में आतंक फैलाना चाहते थे, जिसमें वे आंशिक रूप से सफल भी रहे। श्री नियोगी ने आगे बताया कि जब पुलिस जीप में उसे बिठाकर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में डोलामाइट खदान के जंगल में जीप रोक कर एक पुलिस अधिकारी ने उसे फुसलाते हुये कहा कि '' अगर तुम भाग निकलना चाहते हो, और इस बात का वादा करते हो कि फिर राजहरा क्षेत्र में पैर नही रखोगे तो चुपचाप खिसक सकते हो ''। पुलिस के पुराने ओछे हथकण्डों से परिचित

नियोगी जीप पर ही जमा रहा। नियोगी का कहना है कि पुलिस मुझे जंगल में गोली का निशाना बनाकर यह साबित करना चाहती थी कि मै फरार होने के प्रयास में मारा गया।

श्री नियोगी ने अपने मजदूर आन्दोलन को शांति पूर्ण तथा अहिंसक करार देते हुए कहा कि प्रशासन ने बल प्रयोग कर उसे गलत मोड़ देने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि श्रमिक संघ के आन्दोलन में हिंसा को प्रश्रय देना निरीह मूर्खता है। आन्दोलन में हिंसा का सहारा मूर्ख या शक्ति हीन लिया करते है। हमारे पास १५ हजार लोगों की ताकत थी अत: हिंसा की मूर्खता, हम कदापि नही कर सकते।

नव भारत ५ जुलाई १९७७

समाचार कर्तन – ३

# राजहरा गोलीकांड : जांच रपट के अंश

यह गोलीकांड केन्द्र में जनता शासन की स्थापना और मध्यप्रदेश में श्री कैलाश जोशी के नेतृत्व में बने पहले जनता मंत्रि मंडल के बीच के राष्ट्रपति शासन के दौरान ३ जून १९७७ को हुआ था। दुर्ग जिले में हुये इस भयंकर नरसंहार के जांच के लिये तत्कालीन गवर्नर श्री सत्यनारायण सिन्हा ने ४ जून को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवामुक्त जज श्री एम.ए. रज्जाक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। जांच के लिये शुरू में दिये गये समय में कई दफा वृद्धि करवा कर श्री रज्जाक ने अपनी रिपोर्ट जब राज्य सरकार को २६ फरवरी १९७९ में दुर्घटना के करीब २० महीने बाद दी तब श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मुख्यमंत्री बन चुके थे।

यद्यपि कानून के अनुसार इस रिपोर्टको अगस्त १९७९ तक विधान सभा में प्रस्तुत करना जरूरी था किन्तु इसमें राज्य सरकार को जो तीव्र आलोचना की गई है उसे प्रकाश में न लाने के उद्देश्य से श्री सखलेचा तथ जनवरी १९८० में थोड़े दिनों के लिये सत्ता में आये श्री सुन्दरलाल पटवा इस रिपोर्टको दबाकर बैठे रहे। जनता शासन के समाप्त होने के बाद फिर राष्ट्रपति का राज्य आया और जून १९८० से कांग्रेस (ई) की हुकुमत चल रही है। श्री अर्जुनसिंह को ३३ महीनों तक यह स्मरण ही नही रहा कि ऐसी काई रिपोर्ट सचिवालय में धूल खा रही है और अंत में विधान सभा में हुए कई प्रश्नों के बाद १७ मार्च १९८३ को राज्य मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट पर विचार कर उसे विधान सभा में पेश करने की स्वीकृति दी।

चूंकि यह गोलीकांड उस राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ था जब केन्द्र में जनता सरकार स्थापित थी। अत: विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट पेश होने के बाद न तो इस असाधारण देरी पर एक शब्द कहा न उस पर बहस की मांग की। यह तो हुई इस रपट की पृष्ठभूमि। स्पष्ट है कि इस ९३ फेजी दस्तावेज को तैयार करने में आयोग को काफी मेहनत करनी पड़ी। कमीशन ने इसके लिये १५० पुलिस रोजनामचों की जांच की जो राजहरा और बालोद थानों में लिखे गये थे। उसे ३६ एक्सरे रिपोर्ट और २६१ अन्य दस्तावेजों का भी अध्ययन करना पड़ा। आयोग के समक्ष १२० गवाहों को जिला प्रशासन की ओर से परीक्षण किया गया। यह कार्य अक्टूबर १९७७ से जुलाई १९७८ तक हुआ। श्रमिकसंघ ने तो कोई गवाह पेश किया न दस्तावेज।

२ – ३ जून की रात में २.४५ बजे तथा ३ जून की दोपहर में हुये इस गोलीकांड में ग्यारह खान श्रमिकों की जान गई थी। पहले गोलीकांड के करीब एक घंटा पहले पुलिस ने छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ (सी.एम.एस.एस.) के नेता श्री शंकरगुहा नियोगी की गिरफ्तारी की थी, जिससे शिविर नं. १ में रहने वाले उनके श्रमिक अनुयायी

काफी उत्तेजित हो गये और उनने पुलिस वालों को छुड़ाने के लिये गोली चलानी पड़ी। रात के गोलीकांड से आठ श्रमिक तो मारे गये किन्तु पुलिस वाले न छुड़ाये जा सके इसलिये दूसरे दिन फिर गोलियों का सहारा लिया गया। दिन के गोली कांड में ३ व्यक्ति मारे गये। रात के गोलीकांड में ३०३ नामक खतरनाक गोलियों के ४५ राउन्ड तथा दिन में इन जानलेवा गोलियों के १८ राउन्ड के साथ ४१० गोलियों के तीन राउन्ड भी चलाये गये। याने कुल ६३ राउन्ड गोलियां चली। पुलिस के समूह द्वारा गोली चलाने को राउन्ड कहा जाता है और इस मौके पर पुलिस की टुकड़ी से (जिसमें हर व्यक्ति गोली चलाता है) ६३ दफे गोलियां चलाई।

रात को जो भयंकर और नृशंस कांड हुआ उसकी तुलना में इस राज्य में शायद ही कोई गोली कांड हुआ हो और तो और सरकार मृत या घायल लोगों को ले जाने या उनकी त्वरित देखभाल के लिये न तो एम्बूलेंस या स्टचर का व्यवस्था की थी और न डाक्टर या दवा – दारू के पेटी की . कानूनी प्रावधान के अनुसार यह इंतजाम होना जरूरी है। आयोग ने इस बात पर सख्त एतराज किया है कि रात को प्रकाश की काई व्यवस्था किए बिना गोली चलाई गई थी। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पास न तो लाऊड स्पीकर लगा हुआ वाहन था और न हेडमेगाफोन। कानून के अनुसार यह इंतजाम जरूरी था।

विभिन्न गवाहों के कथन के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि जब रात में गोलियां चलाई गईं तब रात अंधेरी थी और करीब ४००० लोगो को भीड़ एकत्रित थी। आयोग का यह भी मत है कि बिना लाऊड स्पीकर या हेंड – मेगाफोन एक व्यक्ति द्वारा दी गई गोली चलाने की चेतावनी नही मानी जा सकती। चुंकि गोलियां चलाते समय जीपों में लगे लाईट का मुंह भी अंधेरे में खड़ी भीड़ की ओर नही किया गया , इसलिये आयोग का राय है कि ऐसी स्थिति में यह समझ पाना असंभव थ कि भीड़ के अगुओं या पत्थर फेंकने वाले हिंसक लोग कौन थे और न ही यह देखा जा सकता था कि दर्शक या ऐसे व्यक्ति कौन थे जो भीड़ से पृथक और निर्दोष थे। ऐसी हालत में कानूनी इस निर्देश का पालन नही किया जा सकता था कि निर्दोष व्यक्तियों को चोट न पहुंचाई जाए। यह देखपाना भी संभव नही था कि क्या भीड़ लौटने या तितर – बितर होने लगी है ताकि गोली चलाना बंद करने के आदेश दिए जा सके। अंधेरे में नियमित गोली चलाने का आश्रय भी नही लिया जा सकता था क्याकि यह नजर ही नही आता था कि लोगों के घुटनों के नीचे का भाग कहां है। इस तरह गोलियां लक्ष्यहीन तथा अविवेकपूर्ण तरीके से चलाई गई। आयोग ने कहा है कि नियंत्रित गोली चलाने का अर्थ घुटने से नीचे गोली लगना है किन्तु डॉक्टरों की जांच के अनुसार दो व्यक्तियों के सीने में गोली मारी गई थी। दो अन्य की पीठ से गोली आगे की ओर निकली जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्हे उस समय गोली मारी गई जब वे तितर – बितर हो रहे थे या भाग रहे थे।

मध्यप्रदेश पुलिस विनियम के पैरा ४४३ के अनिवार्य उपबंधो का उलंघन करने के लिए आयोग ने बालोद के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री एन.के. घोस तथा भिलाई के नगर पुलिस अधीक्षक श्री वाई.सी. दीक्षित को जिम्मेदार माना है। अपने मत को और स्पष्ट शब्दों में प्रकट करते हुए ये आयोग ने कहा कि रात का गोलीकांड उद्देश्यहीन और अंधाधुंध था और इसिलिये यह न्यायाचित नही था। इससे यह भी स्वत: सिद्ध हो जाता है कि उपयोग में लाया गया पुलिस बल अत्याधिक था। दूसरे दिन दोपहर में हुए गोलीकांड को कमीश्नर ने उचित माना है। दोपहर की गोलियां १५ व्यक्तियों द्वारा चलाई गई थी और इसके पूर्व में रात में गोली चलाने वाले स्क्वेड में सात लोग थे।

आयोग ने यह राय भी दी है कि दल्लीराजहरा लौह अयस्क खानोंमें प्रचलित अनुबंधित श्रमिक पद्धति शीघ्र समाप्म की जानी चाहिए ताकि असमानता और भेदभाव पूर्ण व्यवहार के शिकार श्रमिकों को भी वे सुविधायें तथा लाभ उपलब्ध कराये जावें जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को प्राप्त है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि आयोग के द्वारा जिन अधिकारियों के आचरण के बारे में विपरीत मत दिया गया है उन अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। इसके पश्चात यह काम गृह विभाग का होगा कि वह यह तय करे कि क्या कोई विभागीय जांच करना आवश्यक है।

सत्यनारायण शर्मा

नव भारत, १५ अप्रेल ८३

राख होगे रे कमइया, तोर सपना के कुरिया।
चल दिन हमला छोड़ के, वो संगवारी दुरिया ॥

अ. वहीद

# '७७' के वीर शहीदों की याद में...

सुरेश विश्वास

वीर शहीदों, मेरे दोस्तो,
सबको मेरा सलाम !
अमर हो तुम अमर प्रेमी
जनता के प्यारे साथी,
सबको मेरा सलाम !

कसम है यह धरती माँ का
आखरी दम लड़ जायेंगे,
जनता की सेवा में
अपनी जान दे देंगे,
जो तुम्हारा खून गिरा है
वह लाल खून को मेरा सलाम !

यह गुलिस्तॉ है हमारा
हम न भूखे रहेंगे,
जुल्मशाही के यह राज को
हम बदल के रहेंगे !
तुमने जो हमें राह दिखाया,
उस राह पर चलते रहेंगे।

प्रकाशक : लोक साहित्य परिषद, द्वारा – छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
सी.एम.एस.एस. ऑफिस, दल्ली – राजहरा (दुर्ग) छ.ग.491228
मुद्रक : विजय प्रिंटिंग प्रेस, बालोद
प्रकाशन काल : जनवरी 2004 सहायता राशि : 3 रूपये